(वाद संख्या–575/15)

25.07.2019

परिवादी , अनिला झा, पत्नी स्व0 सतीष झा, मुख्य अधीक्षक, सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस, पटना की ओर से उनके पुत्र, अभिषेक झा, उपस्थित हैं।

प्रस्तुत मामला परिवादी के स्व0 पति के Death claim under scheme of Insurance (GSLI) से संबंधित संबंधित राषि का परिवादी के पति के दिनांक–13.09.2010 को उनके सेवाकाल में मृत्यु के 09 वर्ष के बाद भी मुख्य महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, टेलिफोन भवन, बुद्धमार्ग, पटना द्वारा भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

परिवादी की ओर से दाखिल कागजातों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त के संबंध में ''सूचना के अधिकार अधिनियम–2005'' के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना पर मुख्य महाप्रबंधक, BSNL , पटना द्वारा यह सूचना दी गयी कि स्व0 झा के द्वारा अपने सेवाकाल में प्रतिमाह अपने वेतन से GSLI मद में 315 रुपये की कटौती विभाग द्वारा करायी जाती थी। मुख्य महाप्रबंधक, BSNL, पटना यह स्वीकार करते हैं कि स्व0 झा उनके कर्मी थे तथा BSNL द्वारा स्व0 झा की, सेवाकाल में मृत्यु के उपरांत, उन्हें देय GSLI का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है।

संचिका के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि Chief Account Officer (FC), PGMTD, Patna द्वारा शाखा प्रबंधक, एल0आई0सी0ए, P & GS Unit, Frazer Road, Patna को परिवादी के पति स्वर्गीय झा के GSLI दावे का नियमानुसार निराकरण करने का अनुरोध किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जीवन बीमा निगम द्वारा परिवादी के पति के एल0आई0सी0 के दावे का निराकरण नहीं किया जा रहा है।

कार्यालय, परिवादी की ओर से दाखिल परिवाद पत्र (पृ0 9–1/प0 एवं 30/प0) की प्रति संलग्न कर मुख्य महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, पटना को इस आषय का एक पत्र निर्गत करे कि अगली निष्चित तिथि–12.09.2019 को या तो वे स्वयं या मामले से संबंधित किसी जानकार सक्षम पदाधिकारी को परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में प्रतिवेदन व सुसंगत कागजातों के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित करना/कराना सुनिष्चित करें। उन्हें यह भी सूचित कर दिया जाय कि अगर उनके द्वारा अगली निष्चित तिथि के पूर्व आयोग को उपरोक्त वांछित प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जाता है तो आयोग को उनके विरूद्ध भा0द0स0 की धारा, 176 के अन्तर्गत कारित अपराध के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु वाध्य हो जाना पड़ेगा साथ ही साथ Chief Account Officer (FC), PGMTD, Patna द्वारा शाखा प्रबंधक, जीवन बीमा निगम, फ्रेजर रोड, पटना को भेजे गये उपरोक्त कथित पत्र की छाया प्रति (पृ0 30/प0) को संलग्न कर शाखा प्रबंधक, जीवन बीमा निगम, P & GS Unit, फ्रेजर रोड, पटना से उनके द्वारा अब तक परिवादी के स्वर्गीय पति के जीवन बीमा के दावे का निराकरण नहीं किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन की मांग करें।

आज परिवादी के पुत्र के उपस्थिति में आदेष पारित किया गया है। अतः अगली निष्चित तिथि की सूचना के संबंध में उन्हें सूचित करने की आवष्यकता नहीं है।

संचिका दिनांक–12.09.2019 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>